आज दिनांक 26.11.2009 को श्री शिव बसंत, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सभागार कक्ष में सीड की उपलब्धता हेतु कार्य योजना पर आयोजित बैठक की कार्यवाही :

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का हस्ताक्षर विवरणी :

1. *श्री शिव बसंत, मुख्य सचिव, झारखण्ड।*
2. *श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, सचिव, कृषि, झारखण्ड।*
3. *श्री दीपक सिंह, विशेष सचिव, कृषि, झारखण्ड।*
4. *श्री एन0 एन0 सिंह, कुलपति, बि0कृ0वि0, रांची।*
5. *अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन0एस0सी0, नई दिल्ली।*
6. *श्री गोकुल मेहरा, निदेशक कृषि, झारखण्ड।*
7. *श्री आर0 पी0 सिंह, निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड।*
8. *श्री जटाशंकर चौधरी, निदेशक समेति, झारखण्ड।*
9. *श्री ए0 पी0 सिंह, निदेशक, एन0एच0एम0, झारखण्ड।*
10. *श्री राजेन्द्र किशोर, उप निदेशक उद्यान, रांची। रांची।*
11. *डा0 नरेन्द्र सिंह, परामर्शी,, एन0एस0सी0।*
12. *डा0 एस0 कुमार, प्रधान, हार्प, प्लाण्डू, नामकोम।*
13. *निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बि0कृ0वि0, रांची।*
14. *मुख्य वैज्ञानिक, केन्द्रीय उपराउ भूमि वर्षाश्रित चावल अनुसंधान केन्द्र, हजारीबाग।*
15. *क्षेत्रीय प्रबंधक, एन0एस0सी0।*
16. *मुख्य प्रबंधक, नाबार्ड।*
17. *श्री एस0एन0 चौधरी, हॉली क्रॉस, के0भी0के0, हजारीबाग।*
18. *बीज ग्रामों के प्रतिनिधिगण।*

Dictation

बैठक की कार्यवाही :

मुख्य सचिव द्वारा श्री एस0 के0 रूंगटा, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एन0एस0सी0 का स्वागत किया गया एवं झारखण्ड में बीज की उपलब्धता के विस्तृत प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया कि long term basis पर बीज की उपलब्धता एवं Seed chain को विधिवत कार्यरत (functional) रखा जा सके। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :

1. रबी 2009 एवं इसके बाद उपलब्ध हुए/हो रहे बीजों का वितरण शत प्रतिशत सुयोग्य लाभूकों के बीच निर्धारित मानकों के अनुरूप करने हेतु संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों का दायित्व होगा। इस दायित्व के निर्वाहन में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध **सेवा समाप्ति** की कार्रवाई की जायेगी क्योंकि इसे सबसे बड़ी लापरवाही दायित्व निर्वाहन के कम में माना जायेगा।

अनुपालन – निदेशक कृषि/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी

2. राज्य के अन्दर स्थापित **बीज ग्राम** एवं स्थापित होने वाले बीज ग्रामों को एन0एस0सी0 के umbrella के अन्दर गुणवत्ता पूर्ण बीज उत्पादन कराया जाए। निदेशक कृषि का यह प्रमुख दायित्व होगा कि बीज ग्रामों का नियमित मोनिटरिंग करें और सरकार के अपेक्षा के अनुरूप बीजों का उत्पादन हेतु उनको निदेशित करें तथा उनके द्वारा उत्पादित बीज का क्रय निदेशालय **प्रथम प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत** क्रय सीमा के अधीन निर्धारित दर पर **क्रय** किया जाए।

अनुपालन – निदेशक कृषि, झारखण्ड, रांची

3. बि0कृ0वि0, रांची द्वारा 100 प्रतिशत **आधार बीज,** बीज ग्रामों एवं विभागीय प्रक्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाए। निदेशक कृषि, झारखण्ड और निदेशक, बीज

Dictation

एवं प्रक्षेत्र, बि0कृ0वि0, रांची आपस में समन्व्य करेंगे तथा एक एम0ओ0यू0 long term variety wise आधार बीज फसलवार करेंगे, तदनुसार इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इस chain में CRRUS, Hazaribagh को भी शामिल किया जाए। उनके साथ भी एम0ओ0यू0 किया जाए। साथ ही साथ बीज ग्रामों के साथ भी एक एम0ओ0यू0 किया जाए की संबंधित मात्र बि0कृ0वि0 से ही आधार बीज लें। आधार बीज की उपलब्धता हेतु बि0कृ0वि0 नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। अन्य एजेंसी के आधार बीज से उत्पन्न प्रमाणित बीज का क्रय विभाग नहीं करेगा जबकि कि बि0कृ0वि0 ने refusal नहीं दिया तथा निदेशक कृषि का express written order standard आपूर्तिकर्त्ता को नहीं दिया गया है।

अनुपालन – निदेशक कृषि/क्रॅस,हजारीबाग/बि0कृ0वि0

4. **एन0एस0सी0** के साथ एक एम0ओ0यू0 किया जाए की वह **नोडल एजेंसी** के रूप में झारखण्ड में बीज आपूर्ति तथा उपलब्धता में सहयोग हेतु रहेंगे। उनके पास बीज ग्राम के अतिरिक्त जो बीज होगी उसका वह आपूर्ति केन्द्रीय पी0एस0यू0 तथा अन्य राज्य बीज कारपोरेशन के माध्यम से channelise करेंगे। यह एम0ओ0यू0 निदेशक कृषि, झारखण्ड/एन0एस0सी0 के बीच किया जायेगा। साथ ही साथ एन0एस0सी0 को upfront 10 प्रतिशत अग्रिम के रूप में भुगतान राशि उपलब्धता पर किया जायेगा तथा आपूर्ति के 45 दिनों के अन्दर पूर्ण भुगतान करना निदेशक कृषि सुनिश्चित करेंगे। तत्काल NFSM से 10-11 हेतु अग्रिम दिया जा सकता है।

अनुपालन – निदेशक कृषि/एन0एस0सी0

5. कृषि विभाग के **बीज प्रक्षेत्रों** का भरपूर उपयोग food grain/vegetable बीज के उत्पादन हेतु किया जाए। इसके लिए PPP मोड में भागीदारी हेतु एक

Dictation

newspaper advertisement model code of conduct के बाद प्रकाशित किया जायेगा, जिसके शर्तो का अनुमोदन सरकार के स्तर से कराकर सारी तैयारी पूर्ण कर ली जाए ताकि यह कार्य दिसम्बर माह में प्रारंभ की जाए। ऐसे निजी क्षेत्र की एजेंसियां PSU बीज एजेंसियां जो बीज उत्पादन का अनुभव रखती हो और जिन्हें फार्म हैण्डलिंग करने की capacity एवं proven track record हो उन्हें कृषि प्रक्षेत्र 7 – 10 वर्षो की लीज पर दिये जायेंगे। यह कार्य PPP Mode में किया जायेगा तथा 7 से 10 सालों का प्रथम agreement किया जायेगा। गत 3 सालों में आवेदनकर्त्ता द्वारा 10,000 से 15,000 क्विंटल बीज उत्पादन किया गया हो जिसका सत्यापन संबंधित राज्य के seed certification एजेंसी के माध्यम से कराकर बीज हेतु आवेदन देंगे।

<u>अनुपालन – सचिव कृषि ।</u>

6. एन0एस0सी0 खरीफ 2010 में **1.46 लाख क्विंटल** धान बीज एवं अन्य variety के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। कृषि/बागवानी निदेशक संयुक्त रूप से एक supply schedule बनाकर एन0एस0सी0 को दिनांक 31.12.2009 तक उपलब्ध करावें।

<u>अनुपालन – निदेशक कृषि/एन0एस0सी0।</u>

7. रबी 2009 एवं अग्रतर **भुगतान केन्द्रीयकृत** तरीके से जिला कृषि/बागवानी पदाधिकारी से सत्यापन कराकर तथा seed testing के आधार पर गुणवत्ता आदि के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर एवं सभी मानकों को पूरा करते हुए निदेशक कृषि द्वारा किया जाए। खरीफ 2009 की आपूर्तियों को मांग के अनुरूप ससमय भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा, डालटनगंज, रांची, गुमला,

Dictation

चाईबासा, सिमडेगा, देवघर एवं बोकारो सुनिश्चित करे। लापरवाही बरतने वाले के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई की जाए। भुगतान नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण पुछ कर मुख्य सचिव के समक्ष उपस्थापित किया जाए। ऐसे एजेंसी जिसकी आपूर्ति **अमानक (substandard)** है, उसे **reject कर,** आदेश पारित कर आपूर्तिकर्त्ता को सूचना दे तथा निदेशक कृषि को सूचना दे।

अनुपालन – निदेशक कृषि, झारखण्ड, रांची

8. **सब्जी बीज उत्पादन** हेतु बि0कृ0वि0/एन0एस0सी0/हार्प प्लाण्डू, नामकोम, निदेशक उद्यान एवं एन0एच0एम0/आरे0के0मिशन मिलकर कार्य योजना तैयार करें। यहां पर cucumber, capcicum, french bean & tomato का उत्पादन प्रारंभ करें तथा स्थापित बीज ग्रामों का उन्नयीकरण का कार्य किया जाए।

अनुपालन – बि0कृ0वि0/एन0एस0सी0/हार्प प्लाण्डू/नामकोम, निदेशक उद्यान एवं एन0एच0एम0

9. सब्जी बीज लगभग 2 लाख हे0 में 21000 क्विंटल की आवश्यकता है जिसमें 7000 क्विंटल सब्जी एवं 15000 क्विंटल आलू। इस कार्य में प्रमुख कम्पनीयां यथा **बीजोशीतल, माईको, इण्डो अमेरिका, सिंजेण्टा एवं नम्हेम्स** आदि है। Indo-American कम्पनी जिसका इस राज्य में कोई वितरण एजेंसी नहीं है उनके उत्पाद का duplicate या गलत नाम से बीजों की बिकी हो रही है। निदेशक कृषि इसका सत्यापन करे। तदनुसार दोषियो के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई करें। मासिक प्रतिवेदन नियमित पदाधिकारी वार दें। 2008-09 का वार्षि प्रतिवेदन तथा 2009-10 का (अप्रैल – नवम्बर) तक update दें।

अनुपालन – निदेशक कृषि/उद्यान

Dictation

10. **टिशु कल्चर** के तहत Citrus/banana & straw berry का उत्पादन किया जा सकता है। इस हेतु बि0कृ0वि0 तथा आर0 के0 मिशन, रांची में प्रयोगशाला विकसित है। वह इसका उत्पादन करेंगे। इनको जो आपूर्ति नही है वह एन0एस0सी0 या अन्य पी0एस0यू0 से प्राप्त किया जाए। एन0एस0सी0 के पास 50000 क्विंटल केला टिशु कल्चर के पौधे उपलब्ध है। निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, रांची इसको आवश्यकता के आधार पर प्राप्त कर सकते है।

अनुपालन – निदेशक एन0एच0एम0/उद्यान/एन0एस0सी0

11. राज्य के अन्दर बीज ग्राम, नर्सरी आदि के उत्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर seed/planting material प्रथम प्राथमिकता पर इसी से प्राप्त किया जाए उसके बाद पी0एस0यू0 एवं सरकारी संस्थाओं से ही इसको प्राप्त की जाए।

अनुपालन – निदेशक एन0एच0एम0/उद्यान/कृषि

12. प्रधान, हार्प, प्लाण्डू, नामकोम, बि0कृ0वि0 एवं निदेशक उद्यान grafted planting materials की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये एवं अपनी क्षमता का विस्तार करे। प्रधान, हार्प प्लाण्डू, नामकोम ने सूचित किया कि वे 75,000, पौध सामग्री तैयार करते है, लेकिन 15,000 एन0एच0एम0 को देते है, शेष कृषकों को देते है। मुख्य सचिव ने क्षमता बढ़ाने तथा 25-50 हजारी एन0एच0एम0 को देने का निर्देश दिया। बि0कृ0वि0 ने सूचित किया कि सभी के0भी0के0 और विश्वविधालय में नर्सरी विकसित है जिसमें अगले 2 सालों में पर्याप्त पौधा उपलब्ध होगा। निदेशक उद्यान, रांची ने अपने पुराने नर्सरी की उन्नयीकरण कर planting material की उपलब्धता सुनिश्चित कराए तथा सूचित करें। इस हेतु financial demand

Dictation

NHM/RKVY/State fund से meet किया जाए। प्रस्ताव/requisition निदेशक NHM/समेति (RKVY)/अधोहस्ताक्षरी को दे।

अनुपालन – निदेशक उद्यान/बि0कृ0वि0/प्रधान, हार्प प्लाण्डू

13. निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, रांची ने बताया कि आम – 6,20,000, आंवला – 6,00,000, अमरूद – 1,50,000 एवं कटहल – 1,20,000 पौधो की आवश्यकता है। इस कम में यह तय हुआ कि variety भी संसूचित की जाए तथा एन0एस0सी0 अगले एक सप्ताह के अन्दर इसकी उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट कर दे। Planting material grafted चाहिए या tissue culture के रूप में।

अनुपालन – निदेशक एन0एच0एम0/एन0एस0सी0

14. लीची की ऐसी variety यहां लाया जाए जो बरसात के पूर्व परिपक्व हो, प्रधान हार्प, प्लाण्डू, नामकोम/निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, रांची एंव निदेशक उद्यान आपसी समन्वय कर इसका निर्धारण करें। इसके survival का प्रतिशत सत्यापन के संतोषजनक नहीं है। इसपर technical committee में विमर्श कर निस्पादन हो।

अनुपालन – निदेशक एन0एच0एम0/उद्यान/प्रधान, हार्प, प्लाण्डू

15. मुख्य सचिव, झारखण्ड ने **निदेशक कृषि, झारखण्ड** को **प्रखंड कृषि पदाधिकारी** के पदों को भरने के लिए **झारखण्ड लोक सेवा आयोग** को requisition देने का निदेश दिया। सचिव, कृषि ने बताया कि निदेशक कृषि, झारखण्ड के द्वारा यह कार्य किया जायेगा तथा निदेशक कृषि ने बताया कि इनको requisition भेजा जा रहा है। साथ ही झारखण्ड लोक सेवा आयोग को

Dictation

सचिव कृषि द्वारा निदेशक कृषि के पदस्थापना हेतु स्मारित किया जाए ताकि फरवरी माह तक निदेशक कृषि, झारखण्ड के पद को भर दिया जाए।

अनुपालन – सचिव, कृषि/निदेशक, कृषि

16. **जनसेवक के पदों को भरने** के लिए सचिव कृषि ने बताया कि नियमावली कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से स्वीकृत कराकर वित्त विभाग के विचाराधीन है। उपायुक्तों को नियुक्ति हेतु निर्देश दिया जा सकता है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि Agriculture Graduate/Agriculture 10+2/Diploma तथा Science 10+2/Agriculture वालों से ही पदों को भरा जाए। शेष रिक्त पदों के मात्र 1/3 पदों को ही प्रथम वर्ष में भरा जाए ताकि बि0कृ0वि0 द्वारा कराए जा रहे डिप्लोमा के अभ्यार्थियों को इसमें नियुक्ति करने का पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध रहें। इनके करीब 1900 पद रिक्त है। यह कार्य मार्च, 2009 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए।

अनुपालन – सचिव कृषि/सभी उपायुक्त

17. **उर्वरक की उपलब्धता** एंव **निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री** के मामले पर काफी गम्भीरता से लेते हुए निदेशक कृषि को निदेशित किया गया कि वह नियमित रूप से बीज एवं खाद का सत्यापन करायेगा/करेंगे तथा **उड़न दस्ता बनाकर छापामारी** करेंगे तथा दोषियो के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई करें एवं इस वित्तीय वर्ष में माह वार की गई कार्रवाई का अनुपालन दें। साथ ही साथ खाद की रैक, लोड, डिस्पैच आदि की जानकारी संकलित कर मुख्य सचिव को प्रतिदिन नियमित रूप से उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति सचिव कृषि को

Dictation

भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वर्ष 2008-09 का Annual Status आपूर्ति तथा inspection का जिलावार/पदाधिकारीवार स्पष्ट कर दें।

<u>अनुपालन – निदेशक कृषि</u>

18. **जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर** जो लगभग 15 सालों से देवघर में ही विभिन्न पदों पर पदस्थापित है उनके द्वारा मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना एवं आर0 के0 भी0 वाई0 योजना तथा अन्य सभी योजनाओं में शिथिलता बरती गई है जिनकी उपलब्धि लगभग शुन्य है। उनके द्वारा खाद के थोक विक्रेता का भी सत्यापन ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनका **स्थानांतरण** करने का निदेश दिया गया।

<u>अनुपालन – सचिव कृषि</u>

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/-

शिव बसंत

मुख्य सचिव, झारखण्ड

ज्ञापांक : 6502 रांची/दिनांक : 02-12-09

प्रतिलिपि– अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, एन0एस0सी0, नई दिल्ली/विशेष सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, रांची/कुलपति, बि0कृ0वि0, रांची/निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, बि0कृ0वि0, रांची/क्षेत्रीय निदेशक, एन0एस0सी0 एवं अन्य संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन अविलम्ब करना सुनिश्चित करें।

Ap 01/12/09
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 6502 रांची/दिनांक : 02-12-09

प्रतिलिपि– निदेशक कृषि/भूमि संरक्षण/राज्य बागवानी मिशन/समेति/उद्यान, रांची/सभी परियोजना निदेशक/प्रधान हार्प, प्लाण्डू, नामकोम/उप निदेशक उद्यान, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/राज्य के निबंधित बीज ग्राम के सचिव/अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन अविलम्ब करना सुनिश्चित किया जाए।

Ap 01/12/09
सरकार के सचिव।

Dictation